HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt. No ....B/2547.............. / Jabalpur, dt ...08.../05/2018.
III-6-3/90-V

The Copy of Notification No. F.No. 1-2-90/21-B(1)1564/2018 dated 20-04-2018 received from the Law and Legislative Affairs Department, Bhopal, is forwarded to :-

01 The District & Sessions Judges, ...
02 The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
03. The Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of Madhya Pradesh;
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt ....
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/V II/ Registrar(Examination)/ Registrar (I.LR.) /OSD-(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Acadamey, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
09. D.R. Confdl/S.O.(Checker/W.S./Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
10. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
11. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/ orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

Varun Punase 07.5.18

(VARUN PUNASE)
OSD(DE)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2018

फा.क्र.1–2–90 / 21–ब(एक)1564 / 2018– अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1–2–90 / इक्कीस–ब(एक)5083 / 2016, दिनांक 13 जनवरी, 2017 को, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे सारणी दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायालयों को कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रुप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:–

सारणी

क्रमांक	जिला	सेशन न्यायालय
"1.	अलीराजपुर	अपर सेशन न्यायालय, अलीराजपुर
2.	अनूपपुर	अपर सेशन न्यायालय, अनूपपुर
3.	अशोकनगर	अपर सेशन न्यायालय, अशोकनगर
4.	बुरहानपुर	अपर सेशन न्यायालय, बुरहानपुर
5.	डिंडोरी	अपर सेशन न्यायालय, डिंडोरी
6.	सिंगरौली	अपर सेशन न्यायालय, सिंगरौली
7.	उमरिया	अपर सेशन न्यायालय, उमरिया

F.N0.1-2-90-XXI-B(1)/1564/2018- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (N0.33 of 1989) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90/XXI-B(1)5083/2016, dated 13th January, 2017, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specifies the Court of Additional sessions mentioned in column (3), as special courts for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No	Districts	Sessions Court
"1.	Alirazpur	Additional Sessions Court, Alirazpur

2.	Anuppur	Additional Sessions Court, Anuppur
3.	Ashoknagar	Additional Sessions Court, Ashoknagar
4.	Burhanpur	Additional Sessions Court, Burhanpur
5.	Dindori	Additional Sessions Court, Dindori
6.	Singrauli	Additional Sessions Court, Singrauli
7.	Umaria	Additional Sessions Court, Umaria."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

20/4/2018

(ए0 एम0 सक्सेना)
प्रमुख सचिव,
मध्यपद्रेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 1–2–90 / 21–ब(एक)1564 / 2018, भोपाल, दिनांक...20 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्र. B/1558/III-6-3/90, दिनांक 19.03.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानुपर, डिंडोरी, सिंगरौली एवं उमरिया (म0प्र0)
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग–1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।

( ) केवल मुद्रणालय के लिये।

6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

(नवीन कुमार सक्सेना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

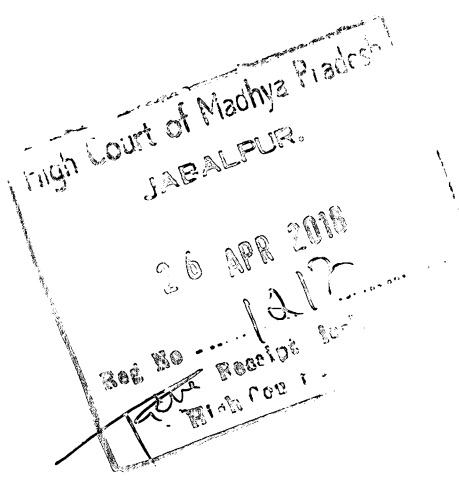

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2018

फा.क्र.1–2–90 / 21–ब(एक)1564 / 2018–अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1–2–90 / 21–ब(एक), दिनांक 30 जनवरी, 1990 को, जहॉ तक कि उसका सम्बन्ध नीचें विनिर्दिष्ट जिलों में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में से प्रत्येक के लिए उस तारीख से, जिसको कि उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ किए जाने वाले न्यायाधीश, उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालय गठित करता है, अर्थात्:–

1. छिंदवाड़ा
2. ग्वालियर
3. जबलपुर
4. नरसिंहपुर
5. रतलाम
6. शिवपुरी

2. उपरोक्त छः जिलों के विशेष न्यायालयों में, उपरोक्त पैरा–1 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की तारीख को लम्बित समस्त मामले, पैरा–1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जाएंगे।

F.N0.1-2-90-XXI-B(1)1564/2018- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (N0.33 of 1989) and in partly supersession of this Department's Notification No. 1-2-90/XXI-B(1), dated 30th January, 1990 so far as it relates to the establishment of the Exclusive Special Court in the following districts, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, establish for each of the following districts an Exclusive Special Court from the date on which the Judge to be posted by the High Court to the concerned Exclusive Special Court assumes the charge of his office in the said Court, to try the offences under the said Act, namely:-

1. Chhindwara
2. Gwalior
3. Jabalpur
4. Narsinghpur
5. Ratlam
6. Shivpuri

2. All cases pending in the Special Court of the above Six districts on the date of establishment of Exclusive Special Court under part-1, shall stand transferred to the Exclusive Special Court established under para-1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

20/4/2018

(ए0 एम0 सक्सेना)
प्रमुख सचिव,
मध्यपद्रेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 1–2–90 / 21–ब(एक)1564 / 2018, भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्र. B/1558/III-6-3/90, दिनांक 19.03.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रतलाम, शिवपुरी (म.प्र.),
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग–1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।

( ) केवल मुद्रणालय के लिये।

6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

(नवीन कुमार सक्सेना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

1296

20 APR 2018

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक..... अप्रैल, 2018

फा.क्र.1–2–90/21–ब(एक)1564/2018– अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे सारणी दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अतिरिक्त सेशन न्यायालयों को कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्

सारणी

क्रमांक	जिला	सेशन न्यायालय
"1.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, छतरपुर
2.	छिंदवाडा	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, छिंदवाडा
3.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, ग्वालियर
4.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, जबलपुर
5.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, मुरैना
6.	नरसिंहपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, नरसिंहपुर
7.	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, रतलाम
8.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, सागर
9.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, शिवपुरी
10.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, विदिशा."

F.N0.1-2-90-XXI-B(1)/1564/2018- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (N0.33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specifies the Court of Additional sessions mentioned in column (3), as one additional special courts for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:-

TABLE

S.No	Districts	Sessions Court
"1.	Chhatarpur	Additional Sessions Court, Chhatarpur
2.	Chhindwara	Additional Sessions Court, Chhindwara

20 APR 2018

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

O.S.D.(DE)

3.	Gwalior	Additional Sessions Court, Gwalior
4.	Jabalpur	Additional Sessions Court, Jabalpur
5.	Morena	Additional Sessions Court, Morena
6.	Narsinghpur	Additional Sessions Court, Narsinghpur
7.	Ratlam	Additional Sessions Court, Ratlam
8.	Sagar	Additional Sessions Court, Sagar
9.	Shivpuri	Additional Sessions Court, Shivpuri
10.	Vidisha	Additional Sessions Court, Vidisha"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए0 एम0 सक्सेना)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 1-2-90/21-ब(एक)1564/2018, भोपाल, दिनांक .. अप्रैल 2018

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. B/1558/III-6-3/90 दिनांक 19.03.2016 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर, शिवपुरी, एवं विदिशा (म.प्र.),
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग 1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।

( ) केवल मुद्रणालय के लिये।

6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बावत प्रेषित।

(नवीन कुमार सक्सेना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग